न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—416/2015/223 (2015/00348)

1. कैलाशचंद पुत्र गोविन्दराम, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम त्योद, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. मोतीलाल पुत्र गणेश (फौत)
2. घासी पुत्र रामनाथ (फौत)
   समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम त्योद, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ, जिला अजमेर ।
4. उप पंजीयक, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती जयश्री पुत्री बाबूलाल पत्नी संतोष जोशी, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम त्योद, तह0 रूपनगढ हाल निवासी मकान नंबर 224—4, राम मंदिर वार्ड, भुसवल शहर, जिला जलगांव (महाराष्ट्र)

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दिनांक 30.9.2015 अंतर्गत वाद संख्या 7/2015.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री रामदेव गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 5.
3. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 फौत ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 व 4.

निर्णय

दिनांकः— 20.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.9.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद पत्र संख्या 7/2015 अंतर्गत वास्ते उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम त्योद तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर स्थित भूमि खसरा नंबर 521 रकबा 0—4—0 बीघा किस्म चाह एवं खसरा नंबर 522 रकबा 19—9—00 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 19—13—00 बीघा पर वादी/अपीलांट के पिता गोविन्दराम पुत्र रामचंद्र जाति ब्राहमण संवत् 2010 से लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है । तत्समय जागीरदार के कॉलम में मोतीलाल पुत्र गणेश व घासी पुत्र रामनाथ अंकित थे लेकिन उनका कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है न ही उनके द्वारा कभी काश्त की गई है न ही कभी लगान अदा किया गया है। वरन् राज0काश्त0अधि0 दिनांक 15.6.1958 अर्थात् संवत् 2015—16

को प्रभाव में आने के पूर्व से ही वादी/अपीलांट के पिता गोविन्दराम काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा तत्समय राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के नाम के आगे काश्त की कॉलम मे खालसा अधिकाररहित अंकित है एवं कब्जा काश्त अपीलांट के पिता का दर्ज है, तब से लगातार विगत 57 वर्षो से गोविन्दराम तत्पश्चात् अपीलांट लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है जिससे बरवक्त प्रभाव में आने राज0काश्त0अधि0 खसरा गिरदावरी संवत् 2010 लगायत 2013 तथा 2014 लगायत 2017 के अनुसार भी गोविन्दराम विशेष विवरण के कॉलम में बहैसियत कृषक दर्ज होने से धारा 15 राज0काश्त0अधि0 के अनुसार अपीलांट के पिता में विवादित भूमि के काश्तकारी स्वत्व विधि प्रभाव से प्रौद्धबुद्ध हो गए लेकिन अधिकार अभिलेख में प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण रूप से यथावत् चलती रही । उक्त आराजियात पर लगातार 2010 लगायत 2022 की खसरा गिरदावरियां प्रस्तुत की गई है जिनसे गोविन्दराम बहैसियत कृषक लगातार काबिज काश्त चला आना स्वंय सिद्ध है । अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे तथा प्रवितादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0नयाया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.9.2015 को वादी/अपीलांट का वाद निरस्त कर दिया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान अधी0न्याया0 के समक्ष प्रवितादी/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 समाचार पत्र में नोटिस चस्पा करवाने के बावजूद अनुपस्थित रहे न ही उनके द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत किया गया ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगबण के विरूद्ध अधी0न्याया0 द्वारा एडवर्स पजेशन इन्फेरेन्स ड्रॉ कर वादी/अपीलांट का वाद डिक्री करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं था परन्तु अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअदांज कर आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अपने निर्णय में विवेचन नहीं किया गया एवं न ही मौखिक साक्ष्य बाबत् ही विवेचन किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने आदेश 20 जा0दी0 के प्रावधानों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि वादपत्र में तनकियात कायम की गई है अथवा नहीं क्योंकि राज्य सरकार से जवाबदावा प्रस्तुत करने के बाद तनकियात कायम की जाना आवश्यक था। अधी0न्याया0 ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है जिससे अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय आदेश 14, 18 व 20 नियम 5 जा0दी0 के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा वादी का है एवं प्रस्तुत दस्तावजी साक्ष्य के अनुसार वादी के पिता गोविन्दराम संवत् 2010 से विवादित भूमि पर विशेष विवरण के कॉलम में दर्ज होकर बहैसियत कृषक काबिज काश्त चले आये है । जिससे स्पष्ट है कि वादी के पिता विवादित भूमि पर अजमेर में राज0काश्त0अधि0 के प्रभाव ममें आने के पूर्व से ही बहैसियत कृषक काबिज काश्त चले आ रहे थे जिससे धारा 15 राज0काश्त0अधि0 के अनुसार उनमें विधि प्रभाव से काश्तकारी स्वत्व

निहित हो चुके थे । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअदांज कर वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादी/रेस्पो0 ने किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नहीं किया था कि राज0काश्त0अधि0 दिनांक 15.6.1958 को अजमेर में प्रभाव में आने के दिन अथवा उसके पूर्व अथवा उसके बाद कभी काश्त की हो न ही उनके द्वारा लगान अदा किया जाना भूमिधारक द्वारा स्वीकार किया गया है । ऐसी स्थिति में बिना काश्त किए एवं बिना लगान अदा किए कोई भी व्यक्ति अधिकार अभिलेख में खातेदार दर्ज नहीं रह सकता है लेकिन विद्वान राजस्व ऐजेन्सी द्वारा इंद्राज दुरूस्त नहीं किए गए । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 तत्समय बहैयित जागीरदार, उपजागीरदार, विश्वेदार दर्ज थे जो रिजम्शन ऑफ जागीर एक्ट एवं जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधि0 के अनुसार स्वतः समाप्त होकर वादग्रस्त भूमि राज्य में निहित हो गई एवं जो व्यक्ति बरवक्त प्रभाव मे आने राजस्थान काश्त0 अधि0 काबिज काश्त थे उन्हें विधि प्रभाव से खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गये थे । अधी0न्याया0 ने इन तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विगत 30 वष्ज्ञो/से अधिकार वर्षो में एवं काश्त0 अधि0 प्रभाव में आने के पूर्व से ही प्रतिवादीगण द्वारा न तो काश्त की गई एवं न ही लगान अदा किया गया जिससे धारा 63 राज0काश्त0अधि0 के अनुसार प्रतिवादीगण के समस्त काश्तकारी स्वत्वों का अवसान हो चुका है जिससे उन्हें अधिकार अभिलेख में बहैसियत खातेदार दर्ज नहीं रखा जा सकता है । यह भी कथन किया कि प्रतिवादीगण ने कभी भी अपीलांट को विवादित आराजियात से बेदखल करने बाबत् बेदखली का वाद भी पेश नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर वादी/अपीलांट का वाद निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे एवं वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में 1996 डी0एन0जे0 पेज 1, आर0आर0डी0 2006 पेज 73 हाई कोर्ट, आर0आर0डी0 1964 पेज 101 एफ.बी., आर0बी0जे0 2008 पेज 41 हाई कोर्ट, आर0आर0डी0 1999 पेज 186, आर0एल0डब्ल्यू0 2003 पार्ट तृतीय पेज 1891–बी के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 5 ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष बिना किसी दस्तावेज के आधार पर अपने आपको को लंबे अर्से से काबिज काश्त एवं मुखालफाना कब्जा के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा चाही है । अधी0न्याया0 द्वारा विधि एवं स्पष्ट न्याय की मंशा को देखते हुए अपीलांट का वाद खारिज कर दिया है जो विधि के सिद्धांतों के अनुकूल है क्योंकि लंबे अर्से के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। इस बाबत् मान0 सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल की लार्जर बेंच द्वारा स्पष्ट निर्णय दिया जा चुका है । वादी/अपीलांट विवादित आराजियात पर 60 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त होना बता रहे है जबकि अपीलांट एवं अपीलांट के पूर्वाधिकारी का उपरोक्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 5 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष मृत व्यक्तियों (रेस्पो0 संख्या 1 व 2) को पक्षकार कायम कर गुप–चुप तरीके से खातेदारी उद्घोषणा प्राप्त करने का प्रयास किया है जबकि रेस्पो0 संख्या 5 जयश्री रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की विधिक वारिस है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 के तहत द्वितीय अनुसूची की विधिक वारिसान होने से की अपीलांट को पूर्ण

जानकारी होने के बावजूद वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किया है । वादी गिरदावरी के आधार पर मान0 न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । वादी का उपरोक्त आराजी में कोई हित–अधिकार, स्वत्व निहित नही है, रेस्पो0 संख्या 5 जयश्री को विधिक वारिसान मानते हुए मान0 राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी/टी0ए0/1712/2019 दिनांक 30.5.2019 को निर्णय पारित करते हुए पक्षकार संयोजित करने के आदेश पारित किये गये है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 5 खातेदारान की द्वितीय श्रेणी की वारिस है एवं खातेदारान संख्या 1 व 2खतौनी बंदोबस्त संवत् 2010 से 2019 में स्पष्ट है कि अंकित है कि मोतीलाल वल्द गणेश, घीसा वल्द रामनाथ कौम ब्राह्मण खुदकाश्त एवं उक्त आराजी में गै0मु0चाह है जो रेस्पो0 संख्या 5 के पूर्वाधिकारी अर्थात् खातेदारान द्वारा खुदवाया गया है । वादी/अपीलांट का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की मृत्यु वाद पेश करने से पूर्व ही हो चुकी थी । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद अथवा न्यायालय कार्यवाही लंबित नहीं रखता है । अपीलांट की अपील अबेट योग्य है । विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा दिया जाना संभव नही है । वादी/अपीलांट ने विवादित आराजियात को हड़प करने की मंशा से यह वाद एवं अपील पेश की है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 5 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 1102, 1139, 1100, आर0आर0टी0 2018 (2) पेज 1417,1037, 1268, आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 216, आर0आर0टी0 2018 (1) पेज 175, आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 279, डी0एन0जे0 2016 (2) पेज 473, डी0एन0जे0 2019 रेवेन्यू पेज 28, डी0एन0जे0 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 84 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार, रूपनगढ़ द्वारा दिनांक 31.7.2015 को जवाबदावा के क्रम संख्या 6 में कथन किया गया है कि साबिक खसरा नंबर 1020 व 2021 संवत् 2010 से 2019 की जमाबंदी में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मोतीलाल व घासी के नाम खुदकाश्त दर्ज है एवं मिलान क्षैत्रफल के अनुसार उक्त भूमियों के 521 व 522 नवीन खसरा नंबर बने है जो रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 खाता संख्या 360 पर खसरा नंबर 521 रकबा 4 बिस्वा चाह एवं खसरा नंबर 522 रकबा 19–9–00 बीघा मोतीलाल पुत्र गणेश एवं घासी पुत्र रामनाथ ब्राह्मण के नाम दर्ज है एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2038 से लगातार रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त प्रमाणित होता है । अपीलांट द्वारा दौराने बहस यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन भूमि वादी/अपीलांट की निरन्तर कब्जे काश्त मे है एवं राज0काश्त0अधि0 के प्रभाव में आने पर स्वमेव खातेदार हो गये है एवं धारा 15 राज0काश्त0अधि0 के तहत अपीलांट के पिता को विवादित आराजी का

खातेदार दर्ज करना चाहिये था परन्तु नहीं किया गया है इस कारण वाद प्रस्तुत किया गया है, अधी0न्याया0 द्वारा वाद को गलत तौर पर खारिज किया गया है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन से हम सहमत नहीं है क्योंकि साबिक खसरा नंबर 1020 व 1021 संवत् 2010 से 2019 की जमाबंदी में जब राज0काश्त0अधि0 लागू हुआ राजस्व अभिलेख में मोतीलाल पुत्र गणेश व घासी पुत्र रामनाथ कौम ब्राह्मण के नाम खुदकाश्त दर्ज थी । अपीलांट/वादी द्वारा यह कहीं भी सिद्ध नहीं किया है कि वादी/अपीलांट शिकमी अथवा मौरूसी काश्तकार हो एवं विधिवत् सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर के समक्ष खातेदारी प्राप्ति हेतु आवेदन किया हो अथवा अपीलाधीन भूमि मोतीलाल व घासी के नाम खुदकाश्त दर्ज की गई थी, के संबंध में उजरात उठाये हो । कुछ समय की खसरा गिरदावरियों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार राज0काश्त0अधि0 के तहत प्राप्त नहीं होते है । अधी0न्याया0 ने 2011 (2) आर0आर0टी0 पेज 77 के आधार पर अपने निर्णय व डिक्री में यह माना है कि राज0काश्त0अधि0 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नही हो सकते है अधी0न्याया0 यह निष्कर्ष विधिसम्मत् है । इस संबंध में अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2019 एस0ए0आर0 सिविल पेज 945 मान0 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कृषि भूमि में टिनेन्सी अधिकार के संबंध में नहीं है तथा इस प्रकरण के तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य पायी जाती है ।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.9.2015 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर